प्रेषक,

संख्या–1359/9–9–12–199ज/2006

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 2012

विषय–नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा 12वें/13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–710/9–9–2008–199ज/2006 दिनांक 27–02–2008 द्वारा अवस्थापना विकास निधि व 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर अनुमोदन/स्वीकृति यथा स्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त व्यवस्था को शासनादेश संख्या–268/9–9– 2010–153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त करते हुये प्रश्नगत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो के आगणन/निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु सम्बन्धित निकाय को अधिकृत किया गया। पुनः शासनादेश संख्या–1306/9–9–10–199ज/2006 दिनांक 18–06–2010 द्वारा शासनादेश संख्या–268/9– 9–2010 –153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 की व्यवस्था को समाप्त करते हुये उक्त शासनादेश संख्या–710/9–9–208–199ज/2006 दिनांक 27–02– 2008 द्वारा की गयी व्यवस्था को प्रभावी रखने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. नागर निकायों को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या–1359/9–9–12–199ज/2006 दिनांक 21 जुलाई 2012 द्वारा कार्यो के आगणन, व्यय की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों एवं विकास कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण करने आदि के बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–268/9–972010–153ज/2001 दिनांक 7 मार्च, 2010 की व्यवस्था को प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया।

go-g

3. प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–1359/9–9–12–199ज/2006 दिनांक 21 जुलाई, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें/13वें वित्त आयोग तथा नागर निकायों की अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों के प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति यथास्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि हेतु सम्बन्धित निकाय सक्षम होगी और इसके लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– समस्त महापौर/नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
4– वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0
इन्दिरा भवन, लखनऊ

संख्याः 8/1730/910/12–(5)/13ज/[illegible] लखनऊः दिनांकः सितम्बर 13, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदे/नगर पंचायतें, उ0प्र0
2– निदेशालय की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु

(अजय दीप सिंह)
निदेशक